नमामि गंगे

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

जैवविविधता एवं गंगा संरक्षण परियोजना
ग्राम स्तरीय सूक्ष्म कार्ययोजना

ग्राम - निवाड़ी खादर
विकासखंड - डिबाई
जनपद - बुलन्दशहर
राज्य - उत्तर प्रदेश

सम्पादन
डॉ0 रूचि बडोला
डॉ0 एस0 ए0 हुसैन

लेखन एवं रूपरेखा
हेमलता खण्डूड़ी

डाटा संकलन
मानसी बिजल्वाण, राहिल खान, श्योराज सिंह

टाइप सैटिंग
मानसी बिजल्वाण

डिजाइन
महेशानन्द पाण्डेय

फोटो क्रेडिट
एन0एम0सी0जी0 डब्ल्यू आई आई टीम

सम्पादकीय पता
भारतीय वन्यजीव संस्थान
पोस्ट बॉक्स 18, चन्द्रबनी
देहरादून – 248001
उत्तराखंड, भारत
टेलिफोन संख्या – 0135 2640114–15, 2646100
फैक्स नं0 – 0135.2640117
ई –मेल – ruchi@wii.gov.in

वर्ष – 2022

ग्राम स्तरीय सूक्ष्म कार्ययोजना

सूक्ष्म नियोजन

ग्राम	–	निवाड़ी खादर
विकासखंड	–	डिबाई
जनपद	–	बुलन्दशहर
राज्य	–	उत्तर प्रदेश
कुल बजट	–	रू0 22,28,000.00
क्रियान्वयन अवधि	–	5 वर्ष

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

2022

विषय - वस्तु

परिचय	01
भाग – 1 प्रस्तावना	**03**
1.1 ग्राम स्तरीय सूक्ष्म जैवविविधता योजना	03
भाग – 2 ग्राम पंचायत का विवरण	**04**
2.1 ग्राम पंचायत का संक्षिप्त विवरण	04
2.2 ग्राम पंचायत चयन के मानक	04
2.3 ग्राम पंचायत चयन की प्रक्रिया	04
2.4 सामाजिक एवं जनसंख्यात्मक विवरण	04
2.5 आर्थिक स्थिति एवं व्यवसाय	04
2.6 ग्राम पंचायत में पेयजल एवं स्वच्छता की स्थिति	05
2.7 कृषि एवं पशुपालन	05
2.8 वर्षा व अन्य जल संसाधनों का विवरण	05
2.9 ग्राम पंचायत तक पहुँच एवं संचार के साधनों की उपलब्धता	05
2.10 ग्राम पंचायत व उसके आसपास वन संसाधन व जैवविविधता का विवरण	05
2.11 समुदाय की गंगा नदी पर निर्भरता	05
2.12 ग्राम पंचायत में चल रहे/पूर्व में संचालित जैवविविधता कार्यक्रम की जानकारी	06
2.13 ग्राम पंचायत में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं/विभागों/कार्यक्रमों का विवरण	06
भाग – 3 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक (Stakeholders)	**07**
3.1 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक	07
भाग – 4 समस्या विश्लेषण	**09**
4.1 समस्या विश्लेषण	09
भाग –5 नियोजन का उद्देश्य	**11**
भाग – 6 प्रस्तावित गतिविधियाँ, रणनीति एवं समन्वयन	**13**

6.1 सामुदायिक जागरूकता संबंधी गतिविधियाँ 13

6.2 समुदाय आधारित संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण 13

6.3 आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी गतिविधियाँ 13

6.4 स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ 14

6.5 वैकल्पिक ऊर्जा संबंधी गतिविधियाँ 14

6.6 कृषि विकास संबंधी गतिविधियाँ 14

6.7 पशुपालन विकास संबंधी गतिविधियाँ 14

6.8 मत्स्य जागरूकता गतिविधियाँ 15

6.9 जैवविविधता एवं आवास पुनर्स्थापन गतिविधियाँ 15

6.10 रेखीय विभागों का विवरण एवं समन्वयन 15

भाग – 7 व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण 16

7.1 सहमत गतिविधियों का व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण 16

7.2 वित्तीय आवश्यकता एवं बजट 18

7.3 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन 19

7.4 पारस्परिक संकल्प एवं उत्तरदायित्व 19

7.5 विवाद का निपटारा 20

7.6 अभिलेखों का रखरखाव 20

7.7 सफलता के सूचक 20

अनुलग्नक 21

1 समझौता ज्ञापन 21

2 सामाजिक मानचित्र 22

3 सूक्ष्म नियोजन हेतु बैठक में उपस्थित समुदाय की सूची 23

4 फोटो गैलरी 24

Narora Kal
Bhairav Ji Temple
नरोरा कल भैरव
जी मंदिर
Dayalu Baba Ashram
दयालु बाबा आश्रम
गंगाजी
Lower Ganga Canal
Niwari Khader
Lower Ganga Canal
Band Bichpuri
बंद
बिछपुरी
Band
Husenpur
बंद
हुसेनपुर
गंगाजी
Hotam
Garhi Kham
होतम
गरही ख़म
Lower Ganga Canal
Mata sati ka mandir
माता सती
का मंदिर
Hakimpur

मानचित्र

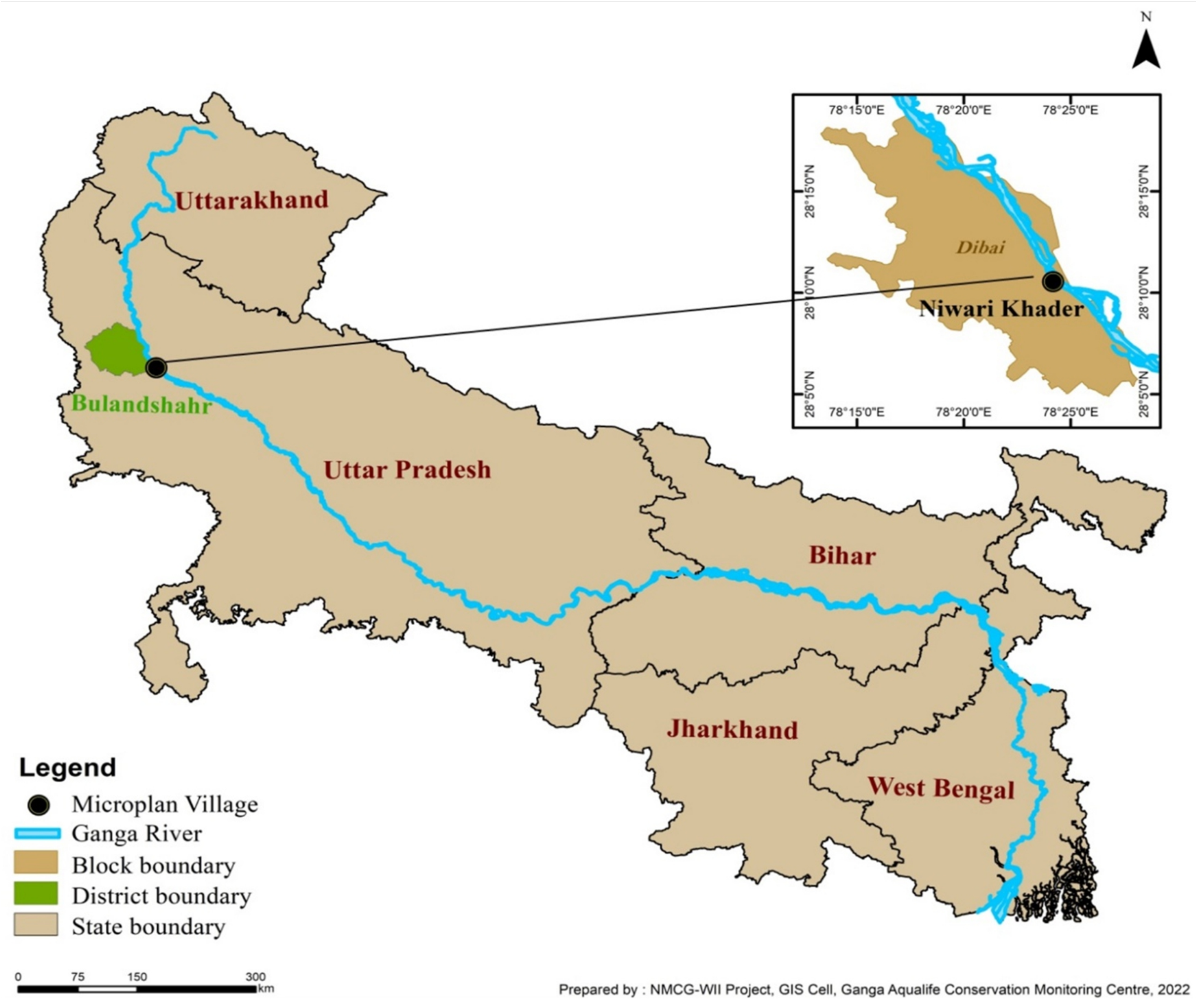

निवाड़ी खादर

परिचय

भारत सरकार ने गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिये नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण परियोजना का आरंभ किया है। परियोजना के द्वितीय चरण में गंगा नदी की सहायक नदियों को भी कार्यक्रम में शामिल किया गया है। परियोजना के अंतर्गत प्रारंभिक स्तर पर नदी की सफाई के तहत तरल कचरे की समस्या को हल करने हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों का निर्माण, शवदाह गृहों का उच्चीकरण, आधुनिकीकरण एवं निर्माण, घाटों का निर्माण और मरम्मत आदि शामिल है। इसके अतिरिक्त जैव विविधता संरक्षण, वनीकरण व पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिये भी कार्य किया जा रहा है। नमामि गंगे कार्यक्रम के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का गठन किया गया है।

भारत सरकार द्वारा गंगा नदी की स्वच्छता एवं संरक्षण हेतु चलाये जा रहे नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत जलीय जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि गंगा नदी की विभिन्न प्रजातियां जो वर्तमान में संकटग्रस्त हैं या निकट भविष्य में जिनके लुप्त होने की संभावना है, इन प्रजातियों की विविधता के लिये उत्पन्न होने वाले खतरे में कमी आये। परियोजना के प्रथम चरण में गंगा नदी की मुख्यधारा में कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया। जिसमें जैवविविधता संरक्षण हेतु 6 घटकों पर कार्य किया गया। जिसमें गंगा जलीय जीव संरक्षण एवं अनुश्रवण केन्द्र की स्थापना, गंगा नदी के जलीय जीवों के पुनर्रूद्धार हेतु योजना का निर्माण, वन विभाग एवं अन्य हितधारकों का क्षमता विकास, जलीय प्रजातियों हेतु बचाव एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना, गंगा नदी की प्रजातियों के पुनर्वास हेतु समुदाय आधारित संरक्षण कार्यक्रम एवं गंगा नदी की जैव विविधता के संरक्षण हेतु नेचर इंटरप्रेटेशन और शिक्षा आदि कार्यक्रम प्रमुख हैं। परियोजना के द्वितीय चरण में कार्यक्रम का क्रियान्वयन गंगा की सहायक नदियों में किया जा रहा है।

सूक्ष्म नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें स्थानीय समुदाय अपनी आवश्यकता के अनुसार विकास की योजना का निर्माण करता है। सूक्ष्म नियोजन में समुदाय के सभी वर्गों की भागीदारी होना इसकी प्रमुख विशेषता है। नियोजन की प्रक्रिया को विकेन्द्रित (Decentralised), सतत् (Sustainable) एवं सहभागी (Participatory) बनाने का यह एक महत्वपूर्ण भाग है। जिसमें नियोजन की प्रक्रिया ऊपर से नीचे (Top to bottom) न होकर नीचे से ऊपर (Bottom to top) की ओर होती है। इस प्रक्रिया में समुदाय के ज्ञान व अनुभवों को आधार मानकर कई सहभागी आकलन की गतिविधियों के माध्यम से जानकारी एकत्र की जाती है।

ग्राम पंचायत निबाड़ी खाँदर

प्रेमपाल सिंह (प्रधान)
ग्राम पंचायत निबाड़ी खाँदर
वि0 क्षे0 डिबाई (बुलन्दशहर)

Mob. 9639161
9759813

पत्रांक ....

दिनांक 12/02/202

सहमति पत्र

जैव विविधता एंव गंगा संरक्षण कार्य कम के अन्तर्गत ग्राम पंचायत निवाड़ी खादर नरौरा ब्लाक डिबाई बु०शहर उ०प्र मे विभिन्न बैठको कार्यशालाओ एंव प्रशिक्षणो के साथ साथ अन्य गतिविधियां आयोजित की गयी है समुदाय के साथ लगातार चर्चा के बाद गंगा की जैव विविधता संरक्षण हेतु ग्राम स्तरीय सूक्ष्य योजना तैयार की गयी है इस योजना पर समुदाय बैठक मे चर्चा करने के उपरान्त इस पर समुदाय द्वारा सहमति दी गयी है ग्राम पंचायत मे इस योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत एंव ग्राम समुदाय भारतीय वन्य जीव संसथान व राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के साथ भागीदार हेतु तैयार है।

प्रेमपालसिंह

ग्राम प्रधान
प्रेमपाल सिंह
निबाड़ी खादर वि0ख0
डिबाई (बुलन्दशहर)

02

निवाड़ी खादर

भाग – १ प्रस्तावना

१.१ ग्राम स्तरीय सूक्ष्म जैवविविधता योजना

ग्राम पंचायत	मोलनापुर
अवस्थिति	अक्षांश 28.177019 एवं देशान्तर 78.401690
विकासखंड	डिबाई
जिला	बुलन्दशहर
राज्य	उत्तर प्रदेश
मुख्यालय बुलन्दशहर से दूरी	58.4 कि0मी0
तहसील मुख्यालय सदर से दूरी	26 कि0मी0
गंगा नदी से दूरी	0.5 कि0मी0
कुल जनसंख्या	6000
कुल परिवार	700
मुख्य जातियां	अन्य पिछडा वर्ग (मल्लाह)
मुख्य समस्याएं	
	• नदी किनारे कृषि (पालिज)
	• जागरूकता की कमी,
	• कृषि में रासायनिक खादों का प्रयोग,
	• धार्मिक व पूजा सामग्री को नदी में प्रवाहित करना,
	• कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था न होना,
	• आजीविका हेतु गंगा नदी पर निर्भरता,
	• घाट पर स्वच्छता सुविधाओं की कमी
	• शौचालयों की कम संख्या एवं उपयोग
प्रस्तावित गतिविधियाँ	
	• सामुदायिक जागरूकता गतिविधियां
	• समुदाय आधारित संस्थाओं का सुदृढीकरण
	• आजीविका व कौशल विकास गतिविधियां
	• स्वच्छता संबंधी गतिविधियां
	• कृषि विकास संबंधी गतिविधियां
	• पशुपालन संबंधी गतिविधियां
	• मत्स्य जागरूकता गतितिधियाँ
	• जैव विविधता संरक्षण संबंधी गतिविधियां

भाग -२ ग्राम पंचायत का विवरण

२.१ ग्राम पंचायत का संक्षिप्त विवरण

उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद बुलन्दशहर के डिबाई विकासखंड में स्थित ग्राम निवाड़ी खादर गंगा नदी के तट पर बसा है। यह ग्राम तहसील मुख्यालय डिबाई से 17.5 कि0मी0, जनपद मुख्यालय बुलन्दशहर से 58.4 कि0मी0 तथा प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 364 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। ग्राम पंचायत गंगा के किनारे 28.177019 अक्षांश एवं 78.401690 देशान्तर पर बसा है। यहाँ पर एक अत्यन्त प्राचीन धार्मिक स्थल शिव मंदिर है। जिसमें ग्रामवासीयों की बहुत श्रद्धा है वे कोई भी शुभ कार्य यहाँ पर पूजा के साथ ही प्रारम्भ करते है। निवाड़ी खादर के पास में ही नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत एक सुन्दर घाट बना हुआ है, जो गाँधी घाट के नाम से प्रसिद्ध है। यह घाट गाँव से 1.8 किलोमीटर की दूरी पर है।

२.२ ग्राम पंचायत चयन के मानक

ग्राम पंचायत गंगा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर केवल मल्लाह के जाति परिवार निवास करते हैं। निवाड़ी खादर, नरौरा बैराज के समीप स्थित है। निवाड़ी खादर से 1.8 किलोमीटर दूरी पर गाँधी घाट है, जहाँ पर मेले, पर्व व स्नान के लिये लोग दूर–दूर से आते हैं। लोगों की आजीविका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गंगा नदी पर निर्भर है। गंगा नदी के इस भाग में जैव विवधिता भी प्रचुर मात्रा में है जिनमें घड़ियाल, मगरमच्छ, गांगेय डॉल्फिन, कछुए, विभिन्न प्रकार की प्रजाति की मछलियाँ, प्रवासी पक्षी आदि पाये जाते हैं। लोगों की गंगा पर निर्भरता अत्यधिक होने के कारण गंगा के संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है जिसका सीधा प्रभाव गंगा की जैव विविधता पर पड़ रहा है। गंगा के तट पर स्थित होने के कारण और यहाँ पर जलीय जैव विविधता की उपस्थिति के कारण ग्राम पंचायत को कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है।

२.३ गांव चयन की प्रक्रिया

नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत चिन्हित गाँवों के संबंध में जानकारी लेने के लिये जिला प्रशासन में मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी से बैठक करने के उपरान्त जिले में गंगा के किनारे बसे व स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत चयनित ग्राम पंचायतों की सूची ली गयी। उपरोक्त ग्राम पंचायत में जनप्रतिनिधियों से सम्पर्क किया गया एवं ग्राम सभा के सदस्यों के साथ बैठकें कर ग्राम पंचायत के आसपास जैवविविधता की स्थिति को जाना गया। ग्रामवासियों को परियोजना की जानकारी दी गयी व परियोजना के उद्देश्यों को बताया गया। समुदाय की सहमति के बाद गाँव को परियोजना के अंतर्गत चयनित किया गया।

२.४ सामाजिक एवं जनसंख्यात्मक विवरण

ग्राम पंचायत के पास स्थित गांधी घाट स्नान के लिये प्रसिद्ध है। गाँधी घाट में महाकाल बाबा का मन्दिर है। यहाँ पर घाट के किनारे रहने वाले लोगों के लिए व मेले, पर्वों में गंगा स्नान के लिए आने वाले यात्रियों के लिए छोटे–छोटे आश्रम भी हैं। ग्राम निवाड़ी खादर का गाँधी घाट जिला बुलन्दशहर के सबसे बड़े और प्रसिद्ध घाटों में से एक है जहाँ पर गंगा से संबंधित विभिन्न पर्वो पर मेले लगते हैं। यहाँ पर प्रतिदिन लगभग 20000 यात्री तथा मेलों के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिये आते हैं। स्थानीय स्तर पर लगने वाले ये मेले न केवल सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व रखते हैं साथ ही वे समुदाय को आजीविका के अवसर भी प्रदान करते हैं।

ग्राम में केवल मल्लाह जाति के लोग रहते हैं। यहाँ पर कुल 700 परिवार निवास करते हैं। वर्तमान में ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या लगभग 6000 है, जिसमें से पुरूषों की संख्या लगभग 3112 एवं महिलाओं की संख्या लगभग 2888 है। ग्राम पंचायत में शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर साक्षरता का स्तर 20.93% है। जिसमें से शिक्षित पुरूषों का प्रतिशत 30.49 तथा महिलाओं का प्रतिशत 9.53 है।

२.५ आर्थिक स्थिति एवं व्यवसाय

निवाड़ी खादर में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति निम्न मध्यवर्गीय है। यहाँ पर अधिकांश लोग कृषि, पशुपालन, मछली के शिकार, मजदूरी पर आश्रित हैं। ग्राम पंचायत में पशुपालन पर किसी न किसी रूप में लगभग 600 परिवार आश्रित हैं। मात्र एक नौकरीपेशा परिवार है, कृषि पर आश्रित परिवारों की संख्या 260 है। 100 परिवारों द्वारा गंगा नदी के किनारे पालिज खेती की जाती है। 50 परिवारों द्वारा कृषि श्रमिक के रूप कार्य किया जाता है। 50 परिवार मछली के शिकार और

10 परिवार नौकायन पर आजीविका हेतु आश्रित हैं।

२.६ ग्राम पंचायत में पेयजल एवं स्वच्छता की स्थिति

निवाड़ी खादर में 14 हैंडपंपों के द्वारा पेयजल की आपूर्ति होती है। गाँव में पूर्व में बनाई गई पानी की योजना क्रियाशील नहीं है। गाँव में कुल शौचालयों की संख्या 497 हैं जिसमें से 250 परिवारों द्वारा ही शौचालयों का प्रयोग किया जा रहा है। ग्राम पंचायत में लगभग 200 परिवारों के पास शौचालय नहीं है। यहाँ पर सामुदायिक शौचालयों का निर्माण भी नहीं किया गया है। शौचालय न होने की स्थिति में शौच हेतु गाँव से 800 मीटर की दूरी पर नदी किनारे एवं खेतों में शौच हेतु जाते हैं। ग्राम पंचायत में कूड़ा (Solid waste) निस्तारण हेतु 40 कूड़ेदान लगाये गये हैं। यहाँ से ग्राम पंचायत के द्वारा गांव से कूड़ा उठवाकर ऑटो से बड़े कूड़ेदान में डाला जाता है। घाट में केवल 01 कूड़ादान लगाया गया है। ग्राम पंचायत में तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों की संख्या को देखते हुये गंगा तट पर सामुदायिक शौचालय बनाये जाने और कूड़ादान लगाये जाने की आवश्यकता है।

२.७ कृषि एवं पशुपालन

ग्राम पंचायत में आजीविका का मुख्य स्रोत पशुपालन और कृषि है। ग्राम पंचायत में कुल 160 परिवार कृषि भूमि में और 100 परिवार गंगा नदी के किनारे की खेती पर निर्भर हैं। ग्राम पंचायत निवाड़ी खादर में लगभग 600 परिवार पशुपालन करते हैं। गाँव में गेहूँ, सरसों, गन्ना एवं मक्का आदि फसलें उगाई जाती हैं। गंगा तट की कछार भूमि पर लौकी, टमाटर, करेला, कद्दू, खीरा, तूरई आदि सब्जियाँ उगाई जाती हैं। सब्जियां मुख्यतः टमाटर एवं बैंगन का कीटों से बचाव करने हेतु थाइडॉन एवं कालिया जैसे कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। कृषि में कुछ भाग में जैविक खाद का प्रयोग किया जा रहा है जो गाँव से लगभग 3 कि0मी0 दूर स्थित नरौरा चौक से खरीदा जाता है। पशुओं के लिये चारा स्वयं के खेतों में उगाया जाता है, फसलों की भूसी तथा गंगा किनारे होने वाली कांस घास का प्रयोग भी चारे हेतु किया जाता है।

२.८ वर्षा व अन्य जल संसाधनों का विवरण

जनपद में वर्षा का औसत 712.24 मिमी0 तथा आर्द्रता 43.2 प्रतिशत रहती है। गंगा के किनारे स्थित होने के कारण ग्राम पंचायत में जल का मुख्य स्रोत गंगा का पानी है। ग्राम में पेयजल या सिंचाई के लिये नलकूप नहीं हैं, केवल 14 छोटे हैंडपम्पों के द्वारा जल की आपूर्ति होती है। ग्राम पंचायत में गंदे पानी की निकासी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। ग्राम निवाड़ी खादर व आस पास के सभी गाँवों का वर्षा का जल वर्षा काल में सीधे गंगा नदी में प्रवाहित होता है।

२.९ ग्राम पंचायत तक पहुँच एवं संचार के साधनों की उपलब्धता एवं स्थिति

वर्तमान में सड़क मार्ग व रेल मार्ग दोनों से ही ग्राम पंचायत तक यातायात व आवागमन के साधन उपलब्ध हैं। रेलवे स्टेशन गांव से लगभग 10 कि0मी0 की दूरी पर राजघाट में है। सरकारी राशन की दुकान ग्राम पंचायत से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा ग्राम में डाकघर, मिनी बैंक, टेलिफोन के अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्र, प्राथमिक विद्यालय, इंटरमीडिएट कॉलेज, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि सुविधाओं की उपलब्धता है।

२.१० ग्राम पंचायत व उसके आसपास वन संसाधन व जैव विविधता का विवरण

गाँव के आस पास आम, अमरूद, आड़ू, बरगद, नीम, पीपल, शहतूत, डेकन, पुतरंजीवा, पापुलर, यूकेलिप्टिस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। समुदाय द्वारा वन विभाग के साथ मिलकर वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है। गंगा नदी के किनारे अंगोला, कांस आदि घास पाई जाती हैं। यहाँ पर गंगा नदी की जैव विवधिता भी प्रचुर मात्रा में है जिनमें घड़ियाल, मगरमच्छ, गांगेय डॉल्फिन, कछुये, विभिन्न प्रजाति की मछलियाँ, प्रवासी पक्षी आदि शामिल हैं। बड़ी मात्रा में गंगा के तटों पर कृषि होने के कारण व चारे हेतु गंगा के किनारों की वनस्पति (घास) का उपयोग किये जाने के कारण जलीय जीवों के आवास खत्म हो रहे हैं जो ज्वविविधता के लिए एक संकट का कारण है।

२.११ समुदाय की गंगा नदी पर निर्भरता

गंगा नदी के तट पर स्थित होने के कारण समुदाय की गंगा नदी पर अत्यधिक निर्भरता है। समुदाय प्रत्यक्ष रूप से धार्मिक गतिविधियों, नौकायन, कृषि, पालिज खेती, गंगा घाट पर दुकानों से रोजगार हेतु गंगा नदी पर निर्भर है। ग्राम पंचायत में 50

परिवार मछली का शिकार कर अपनी आजीविका चलाते हैं। मल्लाह जाति के लोग नाविक के रूप में भी आजीविका के लिये गंगा नदी पर निर्भर हैं। ग्राम पंचायत में बहुसंख्य परिवार आजीविका हेतु कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर हैं। कृषि व पशुओं के लिये जल के लिये समुदाय की गंगा पर निर्भरता है। निवाड़ी खादर में 160 परिवार कृषि करते हैं। गंगा नदी के तट पर स्थित कछार भूमि पर खेती करने वाले 100 परिवारों की जीविका पूर्ण रूप से नदी पर निर्भर है। इनके द्वारा मुख्य रूप से टमाटर, बैंगन, तुरई, लौकी, करेला, खीरा आदि की खेती की जाती है।

२.१२ ग्राम पंचायत में चल रहे/पूर्व में संचालित जैव विविधता कार्यक्रम की जानकारी

निवाड़ी खादर ग्राम पंचायत मकदूमपुर से नरौरा तक घोषित रामसर साइट के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में जलीय जीवों की विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं। पूर्व में वन विभाग द्वारा यहाँ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाये गये हैं।

२.१३ ग्राम पंचायत में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं/विभागों/कार्यक्रमों का विवरण

निवाड़ी खादर में समुदाय आधारित संस्थाऐं सक्रिय नहीं हैं। केवल एक स्वंय सहायता समूह गठित है जो सक्रिय नहीं है।

क्रम सं0	कार्यक्रम का नाम	गठित संस्था का नाम	कार्यक्रम का विवरण	लाभार्थियों की संख्या	टिप्पणी
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	स्वंय सहायता समूह	प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार	15	निष्क्रिय
2.	समेकित बाल विकास योजना	आंगनबाड़ी	1 आंगनबाड़ी केन्द्र	30	निष्क्रिय

उपरोक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम भी चल रहा है।

भाग -३ कार्यक्रम के मुख्य हितधारक

३.१ कार्यक्रम के मुख्य हितधारक (stakeholders)

जैव विविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हितधारकों की पहचान करने हेतु समुदाय के विभिन्न वर्गों के साथ बैठकें की गई। ग्रामीण समुदाय से कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में चर्चा की गई व गंगा की स्वच्छता एवं जैव विविधता के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। चर्चा के दौरान कार्यक्रम से प्रभावित होने वाले निम्न वर्गों को हितधारक के रूप में चिन्हित किया गया–

1. मल्लाह समुदाय
2. धार्मिक समूह
3. व्यापारीगण
4. पालिज की खेती करने वाले कृषक
5. विद्यार्थी समुदाय
6. कृषक
7. महिलायें एवं युवतियां
8. गंगा प्रहरी
9. समुदाय आधारित संस्थायें – स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, गंगा समिति।
10. विभिन्न विभाग एवं कार्यक्रम के अधिकारी एवं कर्मचारी जैसे – स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, खंड विकास अधिकारी, वन विभाग आदि।

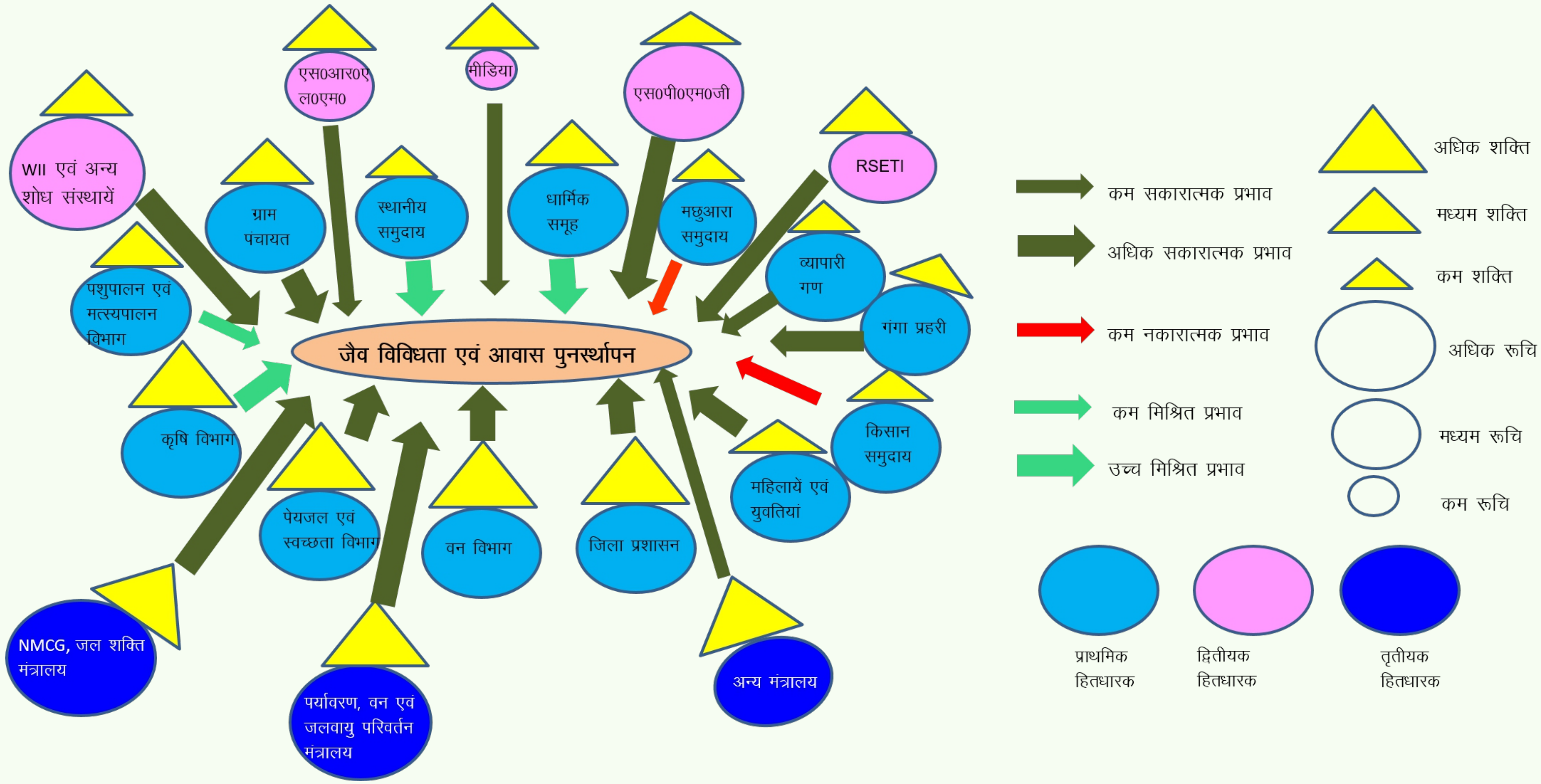

चित्र – 1 हितधारक मानचित्रण

भाग -४ समस्या विश्लेषण

४.१ समस्या विश्लेषण

ग्राम पंचायत निवाड़ी खादर के निवासियों की आजीविका हेतु निर्भरता पशुपालन एवं कृषि कार्यों पर है। गंगा के तट वाली कछार भूमि पर भी कृषि की जाती है। आजीविका का प्रमुख स्रोत होने के कारण समुदाय कृषि उत्पादकता पर निर्भर है जिसके लिये खेतों में रासायनिक खादों व कीटनाशक दवाईयों का प्रयोग किया जाता है। वर्षा होने पर खेती में प्रयुक्त ये रसायन बहकर गंगा के पानी में मिल जाते हैं एवं उसे प्रदूषित करने के साथ ही जैव विविधता को हानि पहुँचाते हैं। इसके अतिरिक्त गंगा के तट पर लगातार कृषि होने के कारण जलीय जीवों के आवास तथा प्रजनन स्थल की हानि हो रही है।

धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल होने एवं प्रतिमाह मेले लगने के कारण यहाँ पर तीर्थ यात्रियों का भारी संख्या में आगमन होता है। गंगा पर अपनी धार्मिक श्रद्धा के कारण ये तीर्थयात्री यहाँ पर स्नान करने के साथ ही पूजा सामग्री, तस्वीरें, कैलेण्डर, मूर्तियाँ, धूपबत्ती, पॉलीथीन आदि गंगा में प्रवाहित कर देते हैं जिससे गंगा के पारिस्थितिकीय तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। प्रमुख धार्मिक स्थल होने के बाद भी यहाँ पर श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों के लिये शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था न होने के कारण तीर्थयात्रियों एवं मेलों के समय लगने वाली अस्थायी दुकानों के दुकानदारों द्वारा गंगा तट पर मल मूत्र त्याग किया जाता है जिससे गंगा तट पर गंदगी रहती है जो वर्षाजल के साथ नदी में मिलकर नदी को प्रदूषित करती है। ग्राम पंचायत में कई परिवारों के पास शौचालय नहीं हैं और जिनके पास हैं वे भी उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं अतः शौचालय निर्माण एवं उपयोग हेतु समुदाय को जागरूक करने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त श्रद्धालुओं द्वारा बड़ी संख्या में कपड़े, पॉलीथीन व अन्य सामग्री गंगा के किनारे छोड़ दिये जाते हैं जो गंगा में बहकर प्रदूषण को बढ़ावा देता है।

यहाँ पर 50 परिवारों द्वारा मछली का शिकार किया जाता है। उनके द्वारा बारीक जाल के प्रयोग करने तथा जाल में जलीय जीवों के फँसने की घटनाओं को देखते हुये मछुआरों के साथ मछली पकड़ने के उचित जाल पर जागरूकता और उन्हें बचाव कार्यों में प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है।

निवाड़ी खादर ग्राम पंचायत में लगभग 600 परिवार पशुपालन करते हैं। गंगा के किनारे पर खेती होने के साथ ही गंगा के किनारे की वनस्पति पर पशुओं के चारे हेतु निर्भरता के कारण यहाँ पर गंगा के जलीय जीवों के आवास को क्षति हो रही है।

आजीविका हेतु अन्य साधनों एवं कौशल की जानकारी व उपलब्धता नहीं होने के कारण समुदाय को नये क्षेत्रों में रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं जिससे गंगा से संबंधित क्षेत्रों पर ही निर्भरता बनी हुई है।

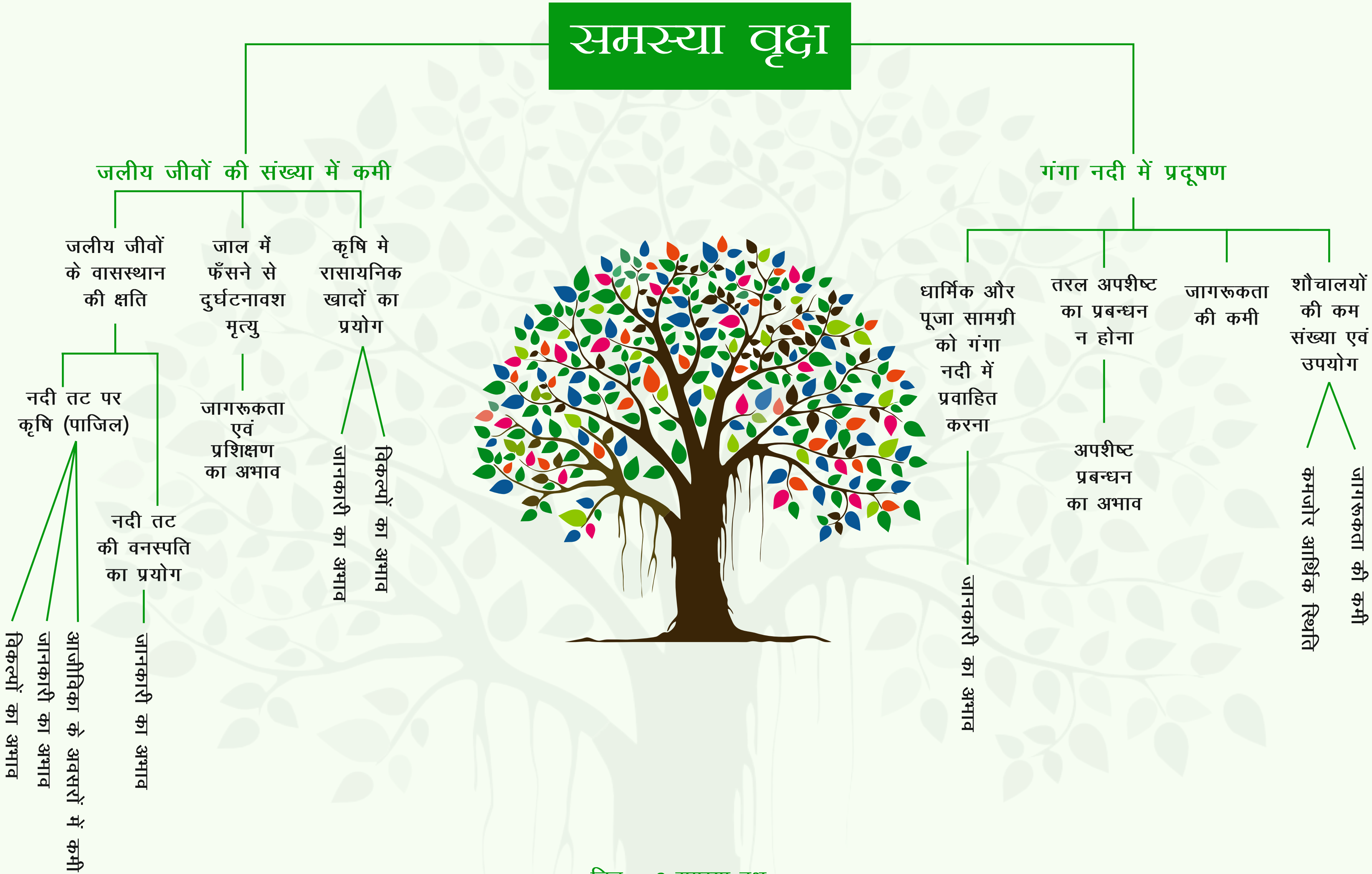

चित्र – 2 समस्या वृक्ष

भाग – ५ नियोजन का उद्देश्य

नियोजन का उद्देश्य

नियोजन का मुख्य उद्देश्य गंगा की जैव विविधता के संरक्षण एवं गंगा की स्वच्छता हेतु समुदाय को जागरूक करना एवं संरक्षण कार्यों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है जिससे संरक्षण कार्यों की सततता बनी रहे।

दीर्घकालीन उद्देश्य –

1. गंगा नदी की अविरलता एवं निर्मलता को बनाये रखने के लिये जलीय जीवों का संरक्षण करना।

अल्पकालीन उद्देश्य

1. गंगा की जैव विविधता के संरक्षण हेतु समुदाय को जागरूक एवं संवेदनशील बनाना ताकि वे जैव विविधता संरक्षण के कार्य में भागीदारी कर सकें।
2. ग्रामवासियों को आजीविका के विकल्पों की जानकारी देकर उन्हें वैकल्पिक आजीविका के साधनों को अपनाने के लिये प्रेरित करना।
3. समुदाय को नदी संसाधनों के सतत उपयोग के लिये संवेदनशील बनाना।

नदी की जैवविविधता एवं नदी पर समुदाय की निर्भरता के आधार पर गांव का चयन

सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन और प्रतिभागी अवलोकन विधि

गाँव की सामाजिक, आर्थिक और जैवविविधता की वर्तमान स्थिति का आंकलन

जैव विविधता संरक्षण के लिए अवसर और खतरे (Opportunities and Threats)

सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन, प्रतिभागी अवलोकन विधि और व्यक्तिगत सम्पर्क

विश्वास निर्माण गतिविधियों के नियोजन हेतु गांव के मुद्दों को चिन्हित करना

जैव विविधता संरक्षण के लिए मुद्दों का प्राथमिकता निर्धारण

सूक्ष्म योजना का विकास

हितधारकों, पंचायत सदस्यों व समुदाय के साथ परामर्श

विषय

- सामुदायिक जागरूकता गतिविधियां
- स्वच्छता संबंधी गतिविधियां
- जैव विविधता संरक्षण संबंधी गतिविधियां
- विश्वास निर्माण गतिविधियां (Trust Building)
  - आजीविका एवं कौशल विकास
  - कृषि विकास
  - पशु पालन
  - वैकल्पिक (नवीकरणीय) ऊर्जा स्रोत
  - समुदाय आधारित संस्थाओं का अभिमुखीकरण

सूक्ष्म योजना को अंतिम रूप देना

सूक्ष्म योजना का क्रियान्वयन

जैव विविधता के संरक्षण के प्रति संवेदनशील एवं जागरूक समुदाय

अविरल और निर्मल नदी तंत्र और जैवविविधता की स्थिति में सुधार

नियमित अनुश्रवण

चित्र – 3 नियोजन की प्रक्रिया

भाग – ६ प्रस्तावित गतिविधियां, रणनीति तथा समन्वयन

६.१ सामुदायिक जागरूकता संबंधी गतिविधियां

एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल एवं नरौरा परमाणु संयंत्र के पास बसे होने के कारण ग्राम में बहुत अधिक संख्या में तीर्थयात्रियों का आवागमन होता है जिनके द्वारा पंचायत क्षेत्र में कूड़ा कचरा फैला दिया जाता है। स्थानीय समुदाय और यात्रियों को जागरूक करने के लिये निम्न गतिविधियां की जायेंगी।

1. गांधीघाट व उसके आसपास के क्षेत्र में जागरूकता संबंधी नारे, बोर्ड व होर्डिंग लगाना।
2. त्योहारों, मेलों, स्नान आदि के समय जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन।
3. एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिये समुदाय को जागरूक करना।
4. जैव विविधता संरक्षण के विभिन्न पक्षों पर समुदाय व विद्यालयों में बच्चों और अध्यापकों के साथ जागरूकता कार्यशाला का आयोजन।
5. गांधीघाट में रहने वाले स्थानीय दुकानदारों के साथ स्वच्छता बनाये रखने पर गोष्ठी एवं चर्चा का आयोजन।
6. मछुआरों के साथ मछली पकड़ने के सही जाल के प्रयोग संबंधी जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।
7. ग्राम स्तर पर जागरूक एवं सक्रिय व्यक्तियों का समूह तैयार कर उन्हें स्वच्छता और जैव विविधता संरक्षण संबंधित जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने हेतु प्रशिक्षित करना।

६.२ समुदाय आधारित संस्थायें

ग्राम पंचायत निवाड़ी खादर में केवल एक स्वंय सहायता समूह गठित है जो कि सक्रिय नहीं है। स्वंय सहायता समूह के अतिरिक्त यहाँ पर और कोई भी ग्राम संगठन नहीं है। यहाँ पर समूह को सक्रिय करने और नये समूहों का गठन करने के प्रयास विकासखंड अधिकारी एवं एन0आर0एल0एम कार्यक्रम के सहयोग से किये जायेंगें। समुदाय को राज्य आजीविका मिशन के अंतर्गत मिलने वाले लाभों से अवगत कराया जायेगा और समूह गठित कर मिशन के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण लेने व कार्य करने के लिये प्रेरित किया जायेगा।

६.३ आजीविका एवं कौशल विकास गतिविधियाँ

1. गंगा के कछार में खेती करने वाले लोगों द्वारा रासायनिक खादों का प्रयोग करने से जलीय जीवों पर पड़ने वाले खतरों को बताते हुये किसानों को जैविक कृषि के अपनाने के लिये प्रेरित किया जायेगा, जिससे उनकी आजीविका पर भी प्रभाव न पड़े और जलीय जीवन भी बचा रहे।
2. बैठकों में चर्चा के बाद ग्राम पंचायत के युवकों एवं युवतियों द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षणों की मांग की गई है। बैठकों एवं कार्यशालाओं के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न कौशल विकास योजनाओं की जानकारी प्रदान की जायेगी।
3. यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु और समय समय पर लगने वाले धार्मिक मेलों में सामान को बेचने के लिये बाजार उपलब्ध है। जिसे देखते हुये सिलाई, धूप बत्ती, अगरबत्ती व हर्बल साबुन बनाने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है।
4. प्रशिक्षण के बाद कपड़े के थैलों और हर्बल साबुन के उपयोग के लिये समुदाय और तीर्थ यात्रियों को प्रेरित किया जायेगा जिससे न केवल समुदाय की आजीविका में वृद्वि होगी साथ ही जैवविविधता के संरक्षण में भी यह सहयोगी होगा।
5. प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त प्रशिक्षित लाभार्थियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं (सब्सिडी/लोन) के बारे में जानकारी देकर व्यवसाय के लिये प्रेरित किया जायेगा। साथ ही स्थानीय स्तर पर तैयार उत्पादों हेतु बाजार विकसित करने का प्रयास किया जायेगा।
6. जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिये जैविक खाद और जैविक कीटनाशक बनाने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

६.४ स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ

निवाड़ी खादर में प्रसिद्ध गांधी घाट, दयालू आश्रम एवं मंदिर होने एवं निरन्तर लगने वाले धार्मिक मेलों आदि के कारण यात्रियों व श्रद्धालुओं का आवागमन बहुत अधिक मात्रा में है जिसके कारण ग्राम पंचायत व घाट की स्वच्छता को बनाये रखना एक कठिन कार्य है। घाट एवं गंगा तट पर सार्वजनिक शौचालयों एवं कूड़ा निपटान की व्यवस्था न होने के कारण समस्या बनी हुई है।

1. ग्राम की अवस्थिति और क्षेत्र में तीर्थयात्रियों की संख्या को देखते हुये ग्राम पंचायत एवं घाटों पर सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का प्रस्ताव ग्राम पंचायत के माध्यम से जिला गंगा समिति को भेजा जा सकता है।
2. वन एवं सिंचाई विभाग के साथ मिलकर घाट पर स्वच्छता के लिये कूड़ादान आदि की स्थापना की जा सकती है।
3. कूड़ेदान के उचित उपयोग हेतु समुदाय को जागरूक करना एवं समय–समय पर विशेषकर त्योहारों एवं मेलों के बाद स्वच्छता अभियान करना।
4. गंगा की स्वच्छता के लिये मासिक बैठक कर गंगा समिति व गंगा प्रहरियों के सहयोग से गंगा के तट व घाटों की सफाई की जायेगी।
5. ग्राम में शौचालयों की कमी को देखते हुए लोगों को व्यक्तिगत शौचालय बनाने और शौचालयों के उपयोग के लिए प्रेरित किया जायेगा।

६.५ वैकल्पिक ऊर्जा संबंधी गतिविधिया

निवाड़ी खादर ग्राम पंचायत में 500 परिवार पारम्परिक ईंधन का प्रयोग करते हैं जिससे गंगा के आसपास की वनस्पति पर ईंधन हेतु निर्भरता बनी हुई है। इन परिवारों को वैकल्पिक ईंधन के प्रयोग हेतु प्रेरित किया जायेगा। इसके लिये जिला स्तर पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यू0पी0नेडा), उज्जवला योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से इन परिवारों को एल0पी0जी, सौर ऊर्जा संयत्र (सोलर कुकर) एवं बायोगैस निर्माण किये जाने हेतु प्रेरित किया जायेगा। साथ ही उपरोक्त के प्रयोग हेतु समुदाय को प्रशिक्षित किया जायेगा।

६.६ कृषि विकास संबंधी गतिविधियाँ

ग्राम पंचायत में 260 परिवार कृषि पर निर्भर हैं। कृषि करने वाले परिवार रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं। कीटनाशकों के प्रयोग के कारण गंगा नदी के जलीय जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, यद्यपि समुदाय द्वारा कुछ भाग में जैविक कृषि की जा रही है। गंगा किनारे की जाने वाली खेती के कारण जलीय जीवों के आवास पर भी संकट है।

1. रासायनिक खादों के प्रयोग से स्वास्थ्य एवं जैव विविधता पर होने वाले दुष्प्रभावों पर जागरूकता। जैविक कृषि के लाभ पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण।
2. जैविक कृषि से संबंधित योजनाओं की जानकारी हेतु कृषि विभाग के साथ सामंजस्य स्थापित करना।
3. उन्नत कृषि, कृषि वानिकी एवं खेतों में चारा घास रोपण हेतु जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही कृषि विभाग के सहयोग से किसानों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।
4. किसानों को जैविक खाद बनाने के तरीकों एवं इनके महत्व के बारे में जानकारी दी जायेगी।
5. फूलों की खेती करने हेतु समुदाय को प्रेरित करना एवं उद्यान विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करना।

६.७ पशुपालन विकास संबंधी गतिविधियाँ

निवाड़ी खादर में पशुपालन को प्राथमिक व्यवसाय के रूप में किया जाता है। लगभग 600 परिवारों के पास पशु हैं। पशुओं की उन्नत नस्ल न होने की वजह से इन परिवारों को आय के अन्य स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है। पशुपालन से आय को बढ़ाने हेतु निम्न गतिविधियां प्रस्तावित हैं।

1. ग्राम पंचायत के नवयुवकों को पशुपालन, डेरी सम्बन्धी व्यवसाय से जीविकोपार्जन करने के लिये प्रेरित किया जायेगा।
2. विभागीय सहयोग (पशुपालन विभाग, बाएफ) से अच्छी नस्ल के दुधारू पशु, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिये चारे के उत्पादन व पौष्टिक चारे के विषय में जानकारी दी जायेगी।
3. बंजर भूमि एवं मेंढ़ों पर चारा घास रोपण हेतु जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही कृषि विभाग के सहयोग से किसानों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

६.८ मत्स्य जागरूकता संबंधी गतिविधियां

ग्राम पंचायत में 60 परिवार मछली का शिकार एवं नौकायन का कार्य करते है। इनके साथ निम्न गतितिधियां की जानी है।

1. मछुआरा तथा नाविक समुदाय के साथ जागरूककता कार्यक्रमों का आयोजन।
2. उचित जाल के प्रयोग पर जागरूकता।
3. मछुआरों और नाविकों हेतु बचाव एवं पुनर्वास पर प्रशिक्षणों का आयोजन।

६.९ जैव विविधता एवं आवास पुनर्स्थापन गतिविधियाँ

जैव विविधिता के संबंध में जागरूकता एवं इसके संरक्षण हेतु कार्य करने के लिये स्थानीय जनसमुदाय में से गंगा प्रहरियों का चयन किया गया है। जो नदी तथा ग्राम पंचायत की स्वच्छता के लिये प्रतिबद्ध हैं। उनके द्वारा मेले, स्नान, पर्व आदि के समय घाटों पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। ये गंगा प्रहरी निवाड़ी खादर एवं आसपास उपस्थित गंगा के जलीय जीवों के बारे में जनसमुदाय को जागरूक करेंगे।

1. जैव विविधता संरक्षण पर जनसमुदाय को जागरूक करने के लिये निरंतर बैठकों, कार्यशालाओं, रैली आदि का आयोजन करना।
2. वन विभाग के साथ निरंतर संपर्क एवं जलीय जीवों के संरक्षण एवं निगरानी हेतु एक तंत्र तैयार करना।
3. गंगा प्रहरियों के लिये जागरूकता, सर्वेक्षण, बचाव एवं पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन।
4. बीमार, घायल, संकटग्रस्त जलीय जीवों की जानकारी संबंधित कार्यकर्ताओं/वन विभाग तक पहुँचाने के लिये समुदाय को तैयार और प्रशिक्षित करना।

६.१० रेखीय विभागों का विवरण एवं समन्वयन

उपरोक्त योजनाओं एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होगी। कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु चिन्हित किये गये विभागों का विवरण निम्नवत है–

क्रम सं0	गतिविधि	विभाग
1.	ग्रामीण विकास, स्वच्छता संबंधी योजनाओं की जानकारी एवं निर्माण करना।	ग्रामीण विकास विभाग, स्वच्छ भारत अभियान
2.	वृक्षारोपण एवं जैव विविधता संरक्षण	वन विभाग
3.	कौशल विकास एवं आजीविका संबंधी प्रशिक्षण	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम, WISE,HESCO आदि
4.	उन्नत एवं जैविक कृषि, पशुपालन, बायो गैस, बायो कम्पोस्ट निर्माण	कृषि एवं पशुपालन विभाग, बाएफ
5.	वैकल्पिक ऊर्जा	उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, डी0एस0टी0 तथा उज्जवला योजना का उपयोग हेतु जागरुक करना।

उपरोक्त विभागों से समन्वयन स्थापित कर समुदाय को विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जायेगा।

भाग – ७ व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण

७.१ सहमत गतिविधियों का व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण

योजना के अंतर्गत प्रस्तावित की गई गतिविधियों का सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य होना आवश्यक है तभी उसके क्रियान्वयन से समुदाय लाभान्वित हो सकेगा।

क्रम सं0	प्रस्तावित गतिविधि	व्यवहार्यता
1.	गांधीघाट व उसके आसपास के क्षेत्र में जागरूकता संबंधी नारे, बोर्ड व होर्डिंग लगाना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
2	त्योहारों, मेलों, स्नान आदि के समय जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
3	एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिये समुदाय को जागरूक करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
4	जैव विविधता संरक्षण के विभिन्न पक्षों पर समुदाय व विद्यालयों में बच्चों और अध्यापकों के साथ जागरूकता कार्यशाला का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
5	गांधीघाट में रहने वाले स्थानीय दुकानदारों के साथ स्वच्छता बनाये रखने पर गोष्ठी एवं चर्चा का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
6	मछुआरों के साथ मछली पकड़ने के सही जाल के प्रयोग संबंधी जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
7	किसानों को जैविक कृषि के अपनाने के लिये प्रेरित करना	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
8	कौशल विकास प्रशिक्षणों का आयोजन	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
9	बैठकों एवं कार्यशालाओं के माध्यम से ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
10	प्रशिक्षित लाभार्थियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं (सब्सिडी/लोन) से जोड़ना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
11	ग्राम पंचायत एवं घाटों पर स्वच्छता सुविधाओं की स्थापना	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।

क्रम सं0	प्रस्तावित गतिविधि	व्यवहार्यता
12	गंगा प्रहरियों के लिये जागरूकता, सर्वेक्षण, बचाव एवं पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
13	जीवों के बचाव और पुनर्वास हेतु एक तंत्र तैयार करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
14	बीमार, घायल, संकटग्रस्त जलीय जीवों की जानकारी संबंधित कार्यकर्ताओं/वन विभाग तक पहुँचाने के लिये समुदाय को तैयार और प्रशिक्षित करना	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
15	स्थानीय स्तर पर तैयार उत्पादों हेतु बाजार उपलब्ध कराना	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
16	रासायनिक खादों के प्रयोग से स्वास्थ्य एवं जैव विविधता पर होने वाले दुष्प्रभावों पर जागरूकता। जैविक कृषि के लाभ पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
17	जैविक कृषि से संबंधित योजनाओं की जानकारी हेतु कृषि विभाग के साथ सामंजस्य स्थापित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
18	उन्नत कृषि, कृषि वानिकी एवं खेतों में चारा घास रोपण हेतु जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही कृषि विभाग के सहयोग से किसानों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।	विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
19	किसानों को जैविक खाद बनाने के तरीकों एवं इनके महत्व के बारे में जानकारी दी जायेगी।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
20	फूलों की खेती करने हेतु समुदाय को प्रेरित करना एवं संबंधित विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
21	ग्राम पंचायत के नवयुवकों को पशुपालन, डेरी सम्बन्धी व्यवसाय से जीविकोपार्जन करने के लिये प्रेरित किया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
22	बंजर भूमि एवं मेंढ़ों पर चारा घास रोपण हेतु जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही कृषि विभाग के सहयोग से किसानों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
23	विभागीय सहयोग (पशुपालन विभाग, बाएफ) से अच्छी नस्ल के दुधारू पशु, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिये चारे के उत्पादन व पौष्टिक चारे के विषय में जानकारी दी जायेगी।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।

७.२ वित्तीय आवश्यकता एवं बजट

ग्राम निवाड़ी खादर में क्रियान्वित की जाने वाली समस्त गतिविधियों का क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के आर्थिक सहयोग से किया जायेगा। तकनीकी सहयोग हेतु जिला स्तरीय विभागों के साथ समन्वयन किया जायेगा। जहां तक संभव हो संबंधित विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को समुदाय तक पहुँचाने का प्रयास किया जायेगा जिससे कार्यक्रम क्रियान्वयन में आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सके।

बजट निवाड़ी खादर

क्रम सं0	गतिविधि	संख्या	दर	कुल राशि
1	**सामुदायिक जागरूकता गतिविधियां**			
i	जैव विविधता संरक्षण के विभिन्न पक्षों पर समुदाय व विद्यालयों में बच्चों और अध्यापकों के साथ कार्यशाला एवं प्रशिक्षण।	5	20000	100000
ii	जागरूकता रैली	5	20000	100000
iii	नुक्कड़ नाटक	5	15000	75000
iv	दीवार लेखन	50	500	25000
v	घाटों पर स्वच्छता एवं जैव विविधता संरक्षण संबंधी सूचना बोर्ड/होर्डिंग लगाना	4	10000	40000
vi	विभिन्न विभागों/कार्यक्रमों के सहयोग से स्थानीय समुदाय के लिये विभिन्न आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करना।	10	5000	50000
vii	जैविक एवं अजैविक कूड़े एवं उसके निपटान के बारे में समुदाय को जागरूक करना।	5	5000	25000
				415000
2	**कार्यशाला एवं प्रशिक्षण**			
I	गांधीघाट में रहने वाले स्थानीय दुकानदारों के साथ स्वच्छता बनाये रखने पर गोष्ठी एवं चर्चा का आयोजन।	05	5000	25000
ii	मछुआरों के साथ मछली पकड़ने के सही जाल के प्रयोग संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।	2	15000	30000
iii	आजीविका एवं कौशल विकास प्रशिक्षणों का आयोजन	4	100000	400000
iv	प्रशिक्षित लाभार्थियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं (सब्सिडी/लोन) की जानकारी देने हेतु कार्यशाला का आयोजन	2	20000	40000
v	गंगा प्रहरियों के लिये जागरूकता, सर्वेक्षण, बचाव एवं पुर्नवास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन।	2	50000	100000
vi	जैविक कृषि के लाभ पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण।	2	50000	100000
vi	उन्नत कृषि, कृषि वानिकी, पशुपालन एवं खेतों में चारा घास रोपण हेतु जागरूकता एवं प्रशिक्षण (कृषि विभाग के सहयोग से)	1	50000	50000
				745000
3	**प्रदर्शन एवं निर्माण**			
i	जैविक खाद का निर्माण प्रदर्शन (Demonstration)	2	20000	40000
ii	उन्नत कृषि, कृषि वानिकी एवं खेतों में चारा घास रोपण का प्रदर्शन (Demonstration)	1	50000	50000

बजट निवाड़ी खादर

क्रम सं0	गतिविधि	संख्या	दर	कुल राशि
3	**प्रदर्शन एवं निर्माण**			
iii	सक्रिय प्रतिभागियों को आजीविका संबंधी गतिविधियां शुरू करने हेतु रिवॉल्विंग फंड			50000
iv	त्योहारों एवं मेलों के बाद स्वच्छता अभियान का आयोजन	24	2000	48000
v	घाटों पर स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं को स्थापित करना (कूड़ेदान लगाना)	10	8000	80000
vi	गंगा किनारे वृक्षारोपण			50000
v	फूलों की खेती हेतु प्रदर्शन खेत तैयार करना	1		50000
				318000
4	**मानव शक्ति एवं यात्रा व्यय**			
i	फील्ड असिस्टेंट (5 वर्ष)	1	10000	600000
ii	यात्रा व्यय			150000
				750000
	कुल (1+2+3+4)			**2228000**

७.३ अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

उपरोक्त कार्य योजना का समय–समय पर अनुश्रवण क्रियान्वयन एजेंसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जायेगा। कार्यक्रम के अनुश्रवण से हमें कार्यक्रम क्रियान्वयन की प्रगति व उसमें आने वाली बाधाओं की जानकारी प्राप्त होगी एवं मूल्यांकन कर कार्ययोजना के अनुरूप क्रियान्वयन प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा सकता है। ग्राम पंचायत में गठित गंगा समिति व गंगा प्रहरियों के माध्यम से कार्यक्रम का अनुश्रवण किया जायेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर रखे जाने वाले रिकार्ड्स भी कार्यक्रम के अनुश्रवण में सहायक होंगे।

७.४ पारस्परिक संकल्प एवं उत्तरदायित्व

कार्यक्रम क्रियान्वयन में समुदाय एवं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एन0एम0सी0जी) – भारतीय वन्य जीव संस्थान की टीम के उत्तरदायित्व निम्नवत होंगे –

- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एन0एम0सी0जी– भारतीय वन्य जीव संस्थान
- जागरूकता गतिविधियों, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण हेतु बजट की व्यवस्था करना।
- गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
- जलीय जीवों के बचाव व पुनर्वास हेतु आवश्यक जानकारी प्रदान करना एवं समुदाय को जागरुक करना।
- आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से समन्वयन स्थापित करना।

समुदाय

- विभिन्न गतिविधियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षणों में भागीदारी करना।
- सहमत गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु स्थान प्रदान करना।
- संकटग्रस्त जलीय जीवों की जानकारी संबंधित विभाग/कार्यकर्ताओं को देना।
- आजीविका एवं कौशल संबंधी प्रशिक्षणों में सक्रिय भागीदारी करना।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों को सहयोग करना।
- समय–समय पर स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का क्रियान्वयन।

- जागरूकता संबंधी गतिविधियों का आयोजन

७.५ विवाद का निपटारा

- गाँव में पंचायत स्तर पर विवाद का निपटारा आपसी सहमति से किया जायेगा।

७.६ अभिलेखों का रखरखाव

- अभिलेखों के रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत या उनके द्वारा चयनित प्रतिनिधि की होगी जिसके लिये ग्राम स्तर पर चयनित गंगा प्रहरियों का सहयोग लिया जा सकता है।
- गंगा की स्वच्छता एवं वृक्षारोपण सम्बन्धी गतिविधियों हेतु रजिस्टर
- विभिन्न गतिविधियों के फोटोग्राफ
- क्रियान्वित गतिविधियो की रिपोर्ट
- प्रशिक्षण में शामिल प्रशिक्षणार्थियों का विवरण
- गंगा प्रहरी द्वारा की जा रही गतिविधियों का विवरण
- ग्राम स्तर पर आयोजित गतिविधियों के दस्तावेज

७.७ सफलता के सूचक

- गंगा नदी एवं उसके बेसिन में जलीय जीवों के संरक्षण हेतु गंगा प्रहरियों का एक संवर्ग (cadre) तैयार हो चुका है तथा स्थानीय समुदायों एवं अन्य हितधारकों को संवेदीकृत एवं प्रशिक्षित किया जा चुका है।
- कार्यक्रम के हितधारकों, उनकी आवश्यकताओं और गंगा के संरक्षण हेतु उनकी भूमिका सुनिश्चित कर ली गई है।
- समुदाय नदी संसाधनों का समझदारी से उपयोग कर रहा है।
- घाटों पर स्वच्छता सुविधाओं की स्थापना की जा चुकी है।
- ग्राम पंचायत में एक मंच तैयार किया जा चुका है जहां पर विभिन्न हितधारक गंगा एवं उसकी जलीय जैवविविधता के संरक्षण से संबंधित चर्चा एवं क्रियाकलाप कर सकते हैं।
- गंगा नदी पर आश्रित समुदाय हेतु कौशल व क्षमता विकास प्रशिक्षण किये जा चुके हैं।
- समुदाय जैविक कृषि कार्यक्रमों को अपनाने हेतु पहल कर रहा है।
- ग्राम पंचायत व घाटों पर स्वच्छता की स्थिति में सुधार हुआ है।
- समुदाय गंगा जैवविविधता संबंधी गतिविधियों के प्रति जागरूक है एवं इसके लिये स्वंय गतिविधियों का आयोजन कर रहा है।
- आजीविका के अवसरों में वृद्धि।

अनुलग्नक १

समझौता ज्ञापन

नमामि गंगे

जैव विविधता संरक्षण एवं गंगा जीर्णोद्धार राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तर प्रदेश वन विभाग एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान का प्रयास

समझौता ज्ञापन

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) ने सभी भागीदारों को एक साथ लाकर गंगा नदी की जैव विविधता के मूल्य को बहाल करने के लिए एक दृष्टिकोण विकसित किया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा लागू की जाने वाली परियोजना "जैव विविधता संरक्षण और गंगा जीर्णोद्धार" इस संरक्षण की नीति का एक अभिन्न हिस्सा है। इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय समुदायों के सहयोग से, गंगा नदी की जलीय प्रजातियों के लिए बहाली योजना विकसित करना है, जिसके लिए शामिल दलों द्वारा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जा रहा है।

समझौता ज्ञापन के पक्षधारी

इस समझौता ज्ञापन पर उत्तर प्रदेश वन विभाग निवाड़ी खादर पंचायत (नरोरा, बुलन्दशहर) और भारतीय वन्यजीव संस्थान के बीच 18 / 05 / 17 दिन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

समझौता ज्ञापन के विषय

यह दस्तावेज गंगा नदी की जलीय प्रजातियों की बहाली के लिए शामिल दलों द्वारा परस्पर सहयोग के लिए प्रतिबद्वता तथा निम्न उद्देश्यों को सामूहिक रुप से प्राप्त करने की दिशा में प्रयास को दर्शाता है:

1– स्थानीय समुदायों के बीच, गंगा नदी के प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए, गंगा प्रहरी का सृजन।

2– घायल एवं बीमार जलीय जीव–जंतुओं के बचाव तथा पुर्नवास के लिए सक्रिय भागीदारी, विशेष रुप से स्थानीय समुदायों द्वारा।

3– नदी पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का दीर्घकालिक उपयोग।

4– सम्मिलित पंचायत के सभी सदस्यों के लिए स्थान –विशेष दीर्घकालिक आजीविका नीतियों की पहचान और विकास का प्रयास।

सभी दल इस समझौते ज्ञापन का सम्मान करने के लिए सहमति प्रदान करते हैं।

समझौते के लिए पक्षधारियों के हस्ताक्षर

भारतीय वन्यजीव संस्थान की ओर से हस्ताक्षर	उत्तर प्रदेश, वन विभाग की ओर से हस्ताक्षर	पंचायत की ओर से हस्ताक्षर
हस्ताक्षर –	हस्ताक्षर –	हस्ताक्षर – नन्नी
नाम – डा. वी. बी. माथुर	नाम –	नाम – नन्नी
शीर्षक – निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान	शीर्षक –	शीर्षक – प्रधान, निवाड़ी खादर
दिनांक –	दिनांक –	दिनांक – 18/05/17

डा. वि.बि. माथुर/Dr. V.B. Mathur
निदेशक/Director
भारतीय वन्यजीव संस्थान
WILDLIFE INSTITUTE OF INDIA
देहरादून/Dehradun

अनुलग्नक २

सामाजिक मानचित्र ग्राम निवाड़ी खादर

अनुलग्नक ३

सूक्ष्म नियोजन हेतु बैठक में उपरस्थित समुदाय की सूची

S.No	नाम	मोबाइल नं.	
1	बन्टी	9627351304	
2	देवी	8650787620	
3	अजय	7055136935	
4	~~[illegible]~~ Rupram	7830067970	
5	महावीर	"	"
6	कुन्दन	-	-
7	जगदीश		
8	श्यामलाल		
9	राजवीर	9927850568	
10	मेगनाथ पंचायत सहायक	6398456061	निवाड़ी खादर
11	सतीश	9917372058	
12	तेजपाल		
13	मुलायमसिंह	9027740117	
14	हरि किशन		
15	सूरज	6399622314	
(16	सबनम		
17)	[illegible]		
18)	सोनू		
19)	अर्जुन		
20	अनजली अजंली		
21	सोवती		
22	कुसुम		
23	कमलेश		
24	माधू		
25	किरती		
26	नवनी		
27	जमुना		
28	मूर्ति		
[illegible]	[illegible]		

फोटो गैलरी

www.wii.gov.in/national_mission_for_clean _ganga

National Mission for Clean Ganga,
Ministry of Jal shakti

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

Wildlife Institute of India
Chandrabani, Dehradun-248001, Uttarakhand

GACMC / NCRR

Ganga Aqualife Conservation Monitoring Centre/
National Centre For River Research
Wildlife Institute of India, Dehradun
nmcg@wii.gov.in